**उत्तराखण्ड शासन**
**वित्त अनुभाग–6**
**संख्या– 440834/ई0– 99193/2026**
**देहरादूनः दिनांक 14 अक्टूबर, 2026**

**कार्यालय ज्ञाप**

निदेशक, लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांकः 276629/2026, दिनांकः 03.05.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्याः 424367/2026, दिनांकः 18.08.2026 को अधिक्रमित करते हुए, कुम्भ मेला–2027, हरिद्वार के तहत लेखा परीक्षा दल द्वारा उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012, उत्तराखण्ड आन्तरिक लेखा परीक्षा नियम–संग्रह, कार्य लेखा परीक्षा नियम–संग्रह, अधिप्राप्ति लेखा परीक्षा संग्रह एवं निष्पादन लेखा परीक्षा नियम संग्रह के अन्तर्गत लेखा परीक्षा का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। कुम्भ मेला–2027, हरिद्वार की समवर्ती लेखा परीक्षा के विस्तृत कार्यक्षेत्र एवं विशिष्ट कार्य की प्रकृति के दृष्टिगत समवर्ती लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान में गठित लेखा परीक्षा दल के साथ कार्य सम्पादित किये जाने हेतु निम्नानुसार अस्थायी पदों का गठन किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| 0सं0 | पद नाम | पदों की संख्या | वेतन | अधिकतम आयु सीमा | भर्ती का स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | तकनीकी विशेषज्ञ/ अधिशासी अभियन्ता | 01 | रू0 75,000.00 | 65 वर्ष | लोक निर्माण/सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग से सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता। |
| | तकनीकी विशेषज्ञ/सहायक अभियन्ता | | रू0 65,000.00 | | |
| 02. | लेखा परीक्षा विशेषज्ञ/ वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी | 01 | रू0 56100–177500/ लेवल–10 | – | महालेखाकार (लेखा परीक्षा) में लेखा परीक्षा विशेषज्ञ/वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर। |

2. कुम्भ मेला, 2027, हरिद्वार के लिए होने वाले कार्यो की समवर्ती लेखा परीक्षा हेतु उक्त पदों का सृजन, नियोजन की तिथि से 18 माह या कुम्भ मेला, 2027 की समवर्ती लेखा परीक्षा समाप्ति तक जो भी पहले हो, की अवधि के लिए किया जाता है।

3. उक्त पर होने वाले व्यय का भुगतान आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या–07 के 2024–खजाना तथा लेखा प्रशासन–98–स्थानीय निधि लेखा परीक्षा–06–ऑडिट निदेशालय–27 ''व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान से किया जायेगा।



File No. DirAud-Tech0427/1/2025-1-DEPT-AUDIT (Computer No. 130372)
Generated from eOffice by Naresh Bijalwan, S. Assistant, SENIOR ASSISTANT, DEPT-AUDIT on 29/10/2026 03:26 pm

4. यह आदेश वित्त अनुभाग–07 के अशासकीय संख्या– 423127/2026, दिनांकः 08.10.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

(रणवीर सिंह चौहान)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।
**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा परीक्षा ऑडिट/लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
4. निदेशक, लेखा परीक्षा(ऑडिट), देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. मेलाधिकारी, कुम्भ मेला प्राधिकरण, हरिद्वार।
6. मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव



File No. DirAud-Tech0427/1/2025-1-DEPT-AUDIT (Computer No. 130372)
Generated from eOffice by Naresh Bijalwan, S. Assistant, SENIOR ASSISTANT, DEPT-AUDIT on 29/10/2026 03:26 pm